फाइल नं0- 71-1001(099)/522/2021

113/2022/I/231252/2022

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 03 नवम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में पी0जी0 बालक छात्रावास के जीर्णोद्धार सम्बन्धित कार्य हेतु अवशेष धनराशि (द्वितीय किश्त) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/318, दिनॉक 29.08.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में पी0जी0 बालक छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु मूल्यांकन समिति द्वारा आकलित कुल लागत रू0 426.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 213.09 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-47/2020/136/71-1-2020-जी-65/2018टी0सी0-2, दिनांक 19.03.2020 द्वारा अवमुक्त की गयी।

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 29.08.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में पी0जी0 बालक छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1537.42 लाख में से प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि (द्वितीय किश्त) रू0 213.09 लाख (रू0 दो करोड़ तेरह लाख नौ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
8. शासनादेश संख्या-47/2020/136/71-1-2020-जी-65/2018टी0सी0-2, दिनांक 19.03.2020 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,13,09,000 (रुपये दो करोड़ तेरह लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031053900 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय (व्ययक-अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in